



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 260]  
No. 260]नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 2004/ज्येष्ठ 31, 1926  
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 2004/JYAISTHA 31, 1926

ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2004

सा.का.नि. 371(अ)।—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (म) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के अधीन सूचना, आदेश या दस्तावेज के परिदान की रीति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना, आदेश या दस्तावेज परिदान करने के साधन नियम, 2004 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ:—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—  
(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है,  
(ख) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. सूचना, आदेश या दस्तावेज को परिदान करने के साधन:—इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत प्रत्येक सूचना, आदेश या दस्तावेज, जो किसी व्यक्ति को संबोधित हो, धारा 171 की उपधारा (1) में उपर्युक्त साधनों के अतिरिक्त होगा, निम्नलिखित किन्हीं भी साधनों द्वारा भी परिदान किए जा सकेंगे:—

- (क) विशेष संदेशवाहक के माध्यम से और हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति आधारप्राप्त करके; या
- (ख) टैलीग्राफिक संदेश द्वारा; या
- (ग) फैक्स द्वारा; या
- (घ) ई-मेल द्वारा।

[फा. सं. 23/7/2004-जार एण्ड आर]

अजय शंकर, संयुक्त सचिव